



न्यायालय सहायक कलेक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 224/2020

दायर दिनांक 09.09.2020

वादी	बनाम्	प्रतिवादीगण
1. मोहम्मद हुसैन पुत्र जीवन खां उम्र 36 वर्ष जाति शैरानी मुस्लमान निवासी गौसियां मोहल्ला, शैरानी आबाद, तहसील- डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।		1. ईजाज मोहम्मद पुत्र जीवन खां, उम्र 45 वर्ष 2. लाल मोहम्मद पुत्र जीवन खां, उम्र 33 वर्ष 3. गनी मोहम्मद पुत्र जीवन खां, उम्र 31 वर्ष 4. मुन्नी बानो पुत्री जीवन खां, उम्र 50 वर्ष 5. जुमली पुत्री जीवन खां, उम्र 48 वर्ष 6. बाना पुत्री जीवन खां, उम्र 38 वर्ष 7. रजिया पुत्री जीवन खां, उम्र 27 वर्ष समस्त जाति शैरानी मुस्लमान, निवासी गौसियां मोहल्ला, शैरानी आबाद, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 8. तहसील डीडवाना, जिला नागौर।

दावा बाबत्

घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा- 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित:-

1. श्री शरीफ शैरानी वकील वादी
2. श्री नागपालसिंह वकील प्रतिवादी सं0 01 ता 07

-:: निर्णय ::-

दिनांक 12.01.2022

वादी का खातेदारी सरहाद शैरानी आबाद में खेत खसरा न0 129 रकबा 2.15 बीघा व खेत खसरा न0 131 रकबा 20.10 बीघा कुल खसरान 2 रकबा 23.05 बिघा में वादी व प्रतिवादी के मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने बाबत् दिनांक 27.07.2021 को तहसीलदार डीडवाना को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांक: 17 दिनांक 06.01.2022 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तावित बंटवारा पर पक्षकारान् सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 17 दिनांक 06.01.2022 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है।

-:: आदेश ::-

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, सरहद शैरानी आबाद के खेत खसरा सं0 129, 131 की भूमि का "बाईमिट्स एण्ड बाउण्ड्स" के बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 17 दिनांक 06.01.2022 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व प्रतिवादी सं0 04 ता 07 का नाम इनकी वर्तमान खातेदारी से हटाया जाता है।



Am
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 17 दिनांक 06.01.2022
निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त
हो। डिक्री जारी हो।


(कार्तिकेय मीणा)
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 12.01.2022 को सरे इजलास में
सुनाया गया।


(कार्तिकेय मीणा)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 224/2020

दायर दिनांक 09.09.2020

वादीगण	बनाम्	प्रतिवादीगण
1. मोहम्मद हुसैन पुत्र जीवण खां उम्र 36 वर्ष जाति शैरानी मुस्लमान निवासी गौसियां मोहल्ला, शैरानी आबाद, तहसील- डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।		1. ईजाज मोहम्मद पुत्र जीवण खां, उम्र 45 वर्ष 2. लाल मोहम्मद पुत्र जीवण खां, उम्र 33 वर्ष 3. गनी मोहम्मद पुत्र जीवण खां, उम्र 31 वर्ष 4. मुन्नी बानो पुत्री जीवण खां, उम्र 50 वर्ष 5. जुमली पुत्री जीवण खां, उम्र 48 वर्ष 6. बाना पुत्री जीवण खां, उम्र 38 वर्ष 7. रजिया पुत्री जीवण खां, उम्र 27 वर्ष समस्त जाति शैरानी मुस्लमान, निवासी गौसियां मोहल्ला, शैरानी आबाद, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 8. तहसील डीडवाना, जिला नागौर।

दावा बाबत
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा- 88, 188 R.T.Act.

दिनांक 11.01.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री शरीफ शैरानी वकील वादी श्री नागपालसिंह वकील प्रतिवादी सं0 01 ता 07 की तरफ से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, सरहद शैरानी आबाद के खेत खसरा सं0 129, 131 की भूमि का "बाईमिट्स एण्ड बाउण्ड्स" के बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 17 दिनांक 06.01.2022 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व प्रतिवादी सं0 04 ता 07 का नाम इनकी वर्तमान खातेदारी से हटाया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 17 दिनांक 06.01.2022 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....खर्चा
इस मुकदमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें।
बसब्ता मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 11.01.2022 को सरे
इजलास में जारी की गयी।


सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुदायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।


 सहायक कलेक्टर
 डीडवाना (नागौर)